दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 02-07-2025

प्राचार्य पदोन्नति विवाद: हाई कोर्ट ने शिक्षकों की याचिकाएं खारिज की

रास्ता साफ होने के बाद 2813 व्याख्याता बन सकेंगे प्राचार्य

लीगलरिपोर्ट | बिलासपुर

स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य के पद पर पदोन्नति को लेकर लगाई गई याचिकाएं हाई कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। राज्य शासन द्वारा तय मापदंडों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट राज्य सरकार के नियमों को वैध मानते हुए कहा कि बीएड और डीएलएड योग्यता रखने वाले शिक्षक प्राचार्य पद के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही अब करीब 2813 व्याख्याता एलबी और नियमित व्याख्याताओं का प्राचार्य बनने का रास्ता साफ हो गया है।

पी. गलिक राव, लक्ष्मी प्रसाद रबेठ, दूजराम खरे सहित अन्य शिक्षकों ने याचिका लगाई थी। इसमें मांग की थी कि सिर्फ बीएड धारकों को ही प्राचार्य पद पर पदोन्नति दी जाए। उन्होंने डीएलएड धारकों को इस पद के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप याचिका लगाई गई। इसमें बताया कि राज्य शासन ने समय-समय पर आदिवासी और पंचायत विभाग के शिक्षकों का संविलियन शिक्षा विभाग में किया है, इसलिए वे भी पदोन्नति के हकदार हैं।

अप्रैल माह में जारी हुई थी शिक्षकों की पदोन्नति सूची

राज्य शासन ने 30 अप्रैल को 2925 शिक्षकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने की सूची जारी की थी। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 1524 और आदिम जाति कल्याण विभाग के 1401 शिक्षक शामिल थे। हालांकि, याचिकाएं लंबित रहने के बावजूद यह सूची जारी की गई थी। हाई कोर्ट ने 1 मई को इस पर रोक लगा दी थी।

अब शुरू हो सकती है पदोन्नति की प्रक्रिया

हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीएड और डीएलएड दोनों वर्ग के शिक्षकों के लिए पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग अब जल्द ही सभी चयनित शिक्षकों की पदोन्नति और पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।